(b) whether appropriate steps are being taken to develop the industry at small-scale/cottage level and not merely by big companies; and

(c) if so, the action taken and progress made in this regard during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DELIP KUMAR RAY): (a) to (c) Government have taken various steps to promote food processing industries in the country which inter alia include declaration of most food processing industries as high priority, delicensing of food processing industries except brewing and distillation of alcoholic beverages and those items reserved for small scale sector, promoting domestic/foreign/NRI investments etc. Government is also operating various Plan Schemes for promoting food processing industries in the country.

During the first four years of the Elighth Five Year Plan, financial assistance amounting to Rs. 1410.48 lakhs has been provided in respect of proposals received from the North Eastern Region. Out of this, the assistance provided in respect of proposals received from Assam amount to Rs. 752.28 lakhs.

Assistance has also been provided to the North-Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation (NERAMAC) which is catering to the development of whole North-Eastern Region.

Most of the food processing units are in the small and medium sector.

गुजरात में "छोटे तथा मझौले कस्बों के समेकित विकास" के अंतर्गत कस्बों का विकास

1373. श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में छोटे तथा मझौले कस्बों के समेकित विकास हेतु कोई कार्यक्रम लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि आबंटित की गई है तो उसकी मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु कोई अंतर्निहित तंत्र विद्यमान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ यू॰ वेंकटेश्वरलू): (क) और (ख) जी, हां। छोटे व मझौले कस्बे के समन्वित विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना 1979-80 से गुजरात सहित सभी राज्यों में चल रही है। यह योजना पांच लाख तक की आबादी वाले शहरों पर लागू है। इसका उद्देश्य, विकास की क्षमता वाले चुनींदा कस्बों में अवस्थापना तथा बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है, ताकि ये शहर आर्थिक विकास व रोजगार के क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में उभर सकें, तथा बड़े नगरों/कस्बों की ओर आबादी के जाने और रोक लगाने में मददगार बन सकें। शुरूआत से लेकर 31.3.1996 तक गुजरात के 47 कस्बे योजना में शामिल हो चुके हैं तथा उन्हें 14.28 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है। राज्य सरकार से प्राप्त सुचना के अनुसार छोटे व मझौले कस्बों की समेकित विकास योजना स्कीमों पर 22.04 करोड़ रुपये मार्च, 1996 तक का कुल व्यय (केन्द्रीय अंश और राज्यअंश व संस्थागत वित्त के हिस्से से) हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) दिशा-निर्देशों के तहत आई॰डी॰एस॰एम॰टी॰, परियोजनाओं के अनुमोदन तथा निगरानी के लिए राज्यस्तरीय अनुमोदन समितियां हैं। भारत सरकार के स्तर पर आई॰डी॰एस॰एम॰टी॰ परियोजनाओं के मूल्यांकन व निगरानी करने के लिए नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन (टी॰सी॰पी॰ओ॰) नोडल एजेन्सी बनाया गया है।